

आयकर महानिदेशक (प्रशासन) एवं अन्य

बनाम

मेसर्स जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5038/2016)

12 मई 2016

**ए.के. सीकरी और आर.के.अग्रवाल, जे.जे**

रूग्ण औद्योगिक कंपनियों(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 एस.एस. 18(5) और 22(1) प्रतिवादी-कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आईएफआर) द्वारा एक रूग्ण कंपनी घोषित किया गया-पुनर्निर्माण/पुनर्वास के लिए योजना स्वीकृत-राहत सहित कुछ आयकर राहते ब्याज और जुर्माना माफ करने पर विचार करने के लिए रखा गया योजना के तहत- पुनर्वास अवधि 31.03.2003 से 31.03.2011 तक आठ वर्षों के लिए थी- वर्ष 2007 में, कंपनी को अधिनियम के दायरे से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि यह एक रूग्ण उपक्रम नहीं रह गई थी और इसकी कुल संपत्ति सकारात्मक हो गई थी-इसके बाद, राजस्व ने अपने बकाया की मांग की-इस बीच कंपनी ने मुंबई में अपनी संपत्ति को विकसित करने के लिए तीसरे पक्ष को बेच दिया था-कंपनी ने राजस्व द्वारा प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए बीआईएफआर के समक्ष आवेदन

दायर किया-बीआईएफआर ने निर्देश दिया राजस्व कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा-अपीलीय प्राधिकारी ने बीआईएफआर के आदे को बरकरार रखा-आदेश को चुनौती देते हुए राजस्व द्वारा रिट याचिका-रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, कंपनी ने पुनर्वास अवधि को एक और वर्ष बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया-बीआईएफआर द्वारा विस्तार से इनकार किया गया और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आगे बरकरार रखा गया-आदेश के खिलाफ रिट याचिका वापस ले ली गई के रूप में खारिज कर दी गई-इसके बाद राजस्व की रिट याचिका खारिज कर दी गई-राजस्व द्वारा अपील पर, आयोजित किया गया: राजस्व को 2007 के बाद आयकर के बकाया की वसूली का अधिकार था (जब कंपनी एक रूग्ण कंपनी नहीं रही) और किसी भी मामले में पुनर्वास योजना समाप्त होने के बाद-बकाया राशि की मात्रा जिसके लिए राजस्व ने मांग उठाई थी, सही थी-सवाल यह है कि क्या राजस्व के लिए इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल करना स्वीकार्य था योजना में दी गई आयकर राहतों को देखते हुए, वर्तमान अपील में निर्णय नहीं लिया गया-पार्टियों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए बीआईएसआर से संपर्क करने की अनुमति दी गई कि क्या ब्याज और जुर्माना माफ करना अनिवार्य या अनुशंसात्मक था।

न्यायालय ने अपील का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया।

1. स्वीकृत पुनर्वास योजना अपनी अवधि पूरी कर चुकी है, जो 31 मार्च 2011 को समाप्त हो गई। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष दायर योजना के विस्तार के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। अपीलीय प्राधिकार ने बोर्ड के इस आदेश को बरकरार रखा था। इसके अलावा वर्ष 2007 में, कंपनी का शुद्ध मूल्य धनात्मक हो गया था और यह अब एक रूग्ण कंपनी नहीं रही। इस प्रकार, राजस्व को 2007 के बाद और किसी भी स्थिति में 31.03.2011 के बाद योजना समाप्त होने पर आयकर की बकाया राशि वसूल करने का अधिकार था। {पैरा 20 और 24}{1021-बी-डी}

2. प्रतिवादी कंपनी की दलील थी कि राजस्व द्वारा आयकर बकाया के संबंध में 761.35 करोड़ रुपये की मांग सही नहीं थी और राजस्व में उन मांगों को भी शामिल किया गया था, जहां कंपनी सफल हो गई थी और विभाग द्वारा दायर अपीलें लंबित थी। राजस्व द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विवादित राशि को शामिल नहीं किया गया है और केवल वह राशि शामिल है, जो सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसार देय थी। {पैरा 26 और 29}{1023-सी, एच: 1024-ए-बी}

3. यह प्रश्न कि क्या विभाग के लिए अपनी मांग में ब्याज और जुर्माना शामिल करना स्वीकार्य था, वर्तमान अपील में तय नहीं किया जा रहा है। पार्टियों को बोर्ड से संपर्क करने की अनुमति है, यह स्पष्टीकरण

मांगने के लिए कि 'विचार करना' शब्द का क्या मतलब है (जैसा कि पुनर्वास योजना में हुआ था) आदि, क्या बोर्ड का मतलब यह था कि यह अनिवार्य था ब्याज और जुर्माने को माफ करने के लिए राजस्व का हिस्सा या यह केवल अनुशासनात्मक था और इसलिए, यह विभाग पर निर्भर था कि वह उक्त अनुरोध पर सहमत हो या न हो। जब भी ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो बोर्ड का अधिकार क्षेत्र केवल उपरोक्त पहलू तक ही सीमित होगा। (पैरा 31 और 32) (1024-जी.एच: 1025-ए)

4. आयकर विभाग, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मुंबई की संपत्ति सहित कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए कदम उठाने का हकदार होगा और उसे बेचने का भी हकदार होगा। यदि इन संपत्तियों के संबंध में कोई सुरक्षित लेनदार है, तो ऐसी कुर्की और बिक्री उन लेनदारों के अधिकारों के अधीन होगी। आयकर, आयकर विभाग को देय कर मूल राशि और यहां तक की स्वीकृत उत्पाद शुल्क का भुगतान राजस्व में किया जाएगा। {पैरा 3} {1025 बी-सी}

5. प्रतिवादी कंपनी की संपत्ति में एमओयू में प्रवेश करने वाली कंपनियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन के संबंध में, एक बार यह पाया जाता है कि ऐसा समझौता पुनर्वास योजना का उल्लंघन था, उपरोक्त हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ व्यवस्था कंपनी द्वारा किया गया समझौता अपनी

कानूनी ताकत खो देता है और इन हस्तक्षेपकर्ताओं को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उक्त समझौता का आधार, {पैरा 34}{1025-ई}

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 5038

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2011 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1875 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.08.2011 से

मनिंदर सिंह, एएसजी, संजय सैन, सीए सुंदरम, श्याम दीवान, डॉ एएम सिंघवी, पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ, सलाहकार, एस ए हसीब, सुश्री साधना (संधू, श्रीमती अनलि कटियार, श्रीमती शैली भसीन, रुद्रेश्वर सिंह, अपूर्व करोल, वैभव त्यागी, कौशिक पौदार, सुश्री सुजाता शिरोलकर, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, अभिनव अग्रवाल, ई.सी. अग्रवाल, गगन गुप्ता, अजय के. जैन, अक्षत कुमार, ए मुखर्जी, उपस्थित पक्षों के लिए वकील)

न्यायालय का निर्णय जस्टिस ए के सिकरी द्वारा पारित किया गया।

1 अनुमति दी गई

02. प्रतिवादी नंबर 1 (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित), अर्थात्, मैसर्स जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्ष 1997 में किसी समय बीमार कंपनी बन गई, क्योंकि इसकी निवल संपत्ति कम हो गई थी। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (बाद में एसआईसीए' के रूप में संदर्भित) की धारा समक्ष संदर्भ (रेफरेंस) दायर किया (इसके बाद इसे

'एसआईसीए' के रूप में जाना जाएगा) 'बोर्ड' निधि आहूजा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दिनांक: 27.07.2016 जिसे केस संख्या 17/1997 के रूप में स्वीकार और पंजीकृत किया गया था। बोर्ड ने कंपनी के कामकाज की जांच की, यह निर्धारित किया कि क्या यह एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई है और इस प्रक्रिया में प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक (एमए) (आरसीबी), मुंबई को ऑपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। (ओए) कुछ मामलों के संबंध में जांच करने और एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा पारित आदेशों में निर्दिष्ट किया गया था। जांच पूरी होने पर बोर्ड ने खुद को संतुष्ट किया कि कंपनी एक रूग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई है। ओए द्वारा एक मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) तैयार की गई थी जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था और बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 14.01.2000 के माध्यम से उक्त योजना को प्रसारित किया था। इस डीआरएस में निम्नलिखित आयकर राहतों का प्रस्ताव किया गया था:

(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट देना और आठ साल से अधिक समय तक अनवेशोषित घाटे और भत्तों को आगे बढ़ाने की अनुमति देना।

(बी) देनदारों और बैंक खातों सहित अचल और चल संपत्तियों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा लगाए गए कुर्की आदेश को हटाना। इसके

बाद पुनर्वास अवधि के दौरान कंपनी की चल संपत्ति समेत किसी भी संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी।

(सी) विभाग द्वारा उठाई गई मांग के खिलाफ स्थगन देने के लिए, लेकिन विभिन्न अपीलीय अधिकारियों/न्यायालयों के समक्ष विवाद में है।

(घ) लगाए गए ब्याज और जुर्माने को, यदि कोई हो, माफ करना और पुनर्वास अवधि के दौरान ऐसे ब्याज और जुर्माने को नहीं लगाना।

(ई) मरोल में अधिशेष भूमि पर विकास के लिए प्रस्तावित अधिशेष भूमि की बिक्री और/या औद्योगिक शेड की बिक्री पर जीटीसी को पूंजीगत लाभ से छूट देना।

(एफ) कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध टीडीएस से छूट देना।

अपीलकर्ता द्वारा 23.03.2001 की डीआरएस के खिलाफ आपत्ति दायर की गई थी। दिनांक 29.03.2001 की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के प्रतिनिधि ने कहा कि यदि मांगी गई राहत और रियायतें देने का निर्देश नहीं दिया गया था, लेकिन आयकर विभाग के विचार के लिए रखा गया था, तो अपीलकर्ता को कोई आपत्ति नहीं थी।

03. कानून की आवश्यकता के अनुसार सभी हितधारकों और लेनदारों के परामर्श के बाद ओए द्वारा प्रस्तुत पुनर्निर्माण/पुनर्वास की

योजना को बोर्ड (इसके बाद एसएस-02 के रूप में संदर्भित) द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित किया गया था। आदेश दिनांक 16.02.2002 यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि डीआरएस प्रसारित होने के बाद और इसे मंजूरी मिलने से पहले 366 करोड़ रुपये की आयकर मांग आयकर विभाग (यहां अपीलकर्ता) द्वारा 01.08.2001 को ओए को सूचित की गई थी। 16.12.2002 को योजना को मंजूरी देते समय, निम्नलिखित आयकर राहतें योजना में रखी गईं:

“(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 41(1), 115 जेबी, 43-बी और 72(3) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट पर विचार करने के लिए और आठ वर्षों से परे अनवशोषित हानियों और भत्तों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए।

(बी) लगाए गए ब्याज और जुर्माने, यदि कोई हो, को माफ करने पर विचार करना और पुनर्वास अवधि के दौरान ऐसे ब्याज और जुर्माने को न लगाना।

(सी) अधिशेष भूमि की बिक्री और/या मरोल में अधिशेष भूमि पर विकास के लिए प्रस्तावित औद्योगिक शेड की बिक्री और/ या किसी अन्य संपत्ति की बिक्री पर जीटीसी को पूंजीगत लाभ से छूट देने पर विचार करना।



(डी) कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध जीटीसी को टीडीएस से छूट देने पर विचार करना। इसके अलावा, पुनर्वास योजना के पैरा 10(के) में सामान्य नियम और शर्तें शीर्षक के तहत, बोर्ड ने आयकर बकाया के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए:

“10(के): आयकर विभाग देनदारों और बैंक खातों सहित जीटीसी की अचल और चल संपत्तियों के खिलाफ लगाए गए कुर्की आदेशों को हटा देगा और इसके बाद पूर्व सहमति के बिना पुनर्वास अवधि के दौरान कंपनी की चल संपत्तियों सहित किसी भी संपत्ति को कुर्क नहीं करेगा। बीआईएफआर का विवादित देनदारियों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांगों के खिलाफ वसूली कार्यवाही निलंबित रहेगी और कंपनी को देय रिफंड, यदि कोई है, को ऐसी मांगों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा।

04. उक्त राहत की परिकल्पना पैरा 9(क्यू) में सीबीडीटी से मांगी गई राहत और रियायतों के तहत नहीं की गई थी और इस तरह के निर्देश एसआईसीए की धारा 19(2) के तहत आवश्यक अपीलकर्ताओं की सहमति के बिना, सामान्य नियम और शर्तों के तहत दिये गये थे। इसके अलावा स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसएस-

02) के पैरा 6 (टी) में, बोर्ड ने एसएस-02 के अनुबंध ii में अनुमानित लाभप्रदाता विवरण की मान्यताओं का उल्लेख किया है। स्वीकृत योजना का हिस्सा मानी जाने वाल लाभप्रदाता की धारणाओं मते अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है।

(i) बिक्री में सिगरेट का स्वयं का निर्माण और कन्वर्टर्स से खरीदी गई सिगरेट शामिल होगी।

(ii) इन-हाउस क्षमता उपयोग 54 प्रतिशत से 75 प्रतिशत की सीमा में होगा।

इसके अलावा, अनुमानित लाभप्रदाता विवरण के अनुसार, अनुमानित बिक्री में केवल सिगरेट शामिल थी, और अनुमानित निधि प्रवाह विवरण के अनुसार, अचल संपत्तियों में कोई कमी नहीं होनी थी। सामान्य नियम और शर्त शीर्षक के तहत पैरा 10(एफ) में यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी सिविल अपील संख्या के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान सामान्य पूंजीगत व्यय को छोड़कर कोई भी बड़ा आधुनिकीकरण/विविधीकरण कार्यक्रम/ पूंजीगत व्यय नहीं करेगी एमए/बीआईएफआर की विशिष्ट पूर्व अनुमति के बिना पुनर्वास योजना का

” इसके अलावा, बोर्ड ने स्वीकृत पुनर्वास योजना के पैरा 9(एस)(बी) में प्रमोटरों को नकदी प्रवाह अनुमानों में से

किसी भी कमी या योजना में कल्पना नहीं की गई किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में प्रमोटर औद्योगिक संपत्ति के विकास और मराल , मुंबई में उपलब्ध अधिशेष भूमि की बिक्री या किसी अन्य अधिशेष संपत्ति की बिक्री/विकास के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।”

05. योजना में उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा इसकी मंजूरी के साथ, राजस्व कंपनी क चल या अचल संपत्तियों की कुर्की के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न ही किया गया।

06. योजना में अंतिम तिथि 31.12.1998 थी और आठ वर्ष की पुनर्वास अवधि निर्धारित की गई थी। हालांकि, बाद में बोर्ड द्वारा योजना में कट-आॅफ तिथि 31.12.1998 में बदलकर 31.03.2003 कर दी गई और पुनर्वास के लिए प्रदान की गई आठ वर्ष की अवधि 31.03.2003 से मानी जानी थी। इस प्रकार यह योजना 31.03.2011 को समाप्त हो जानी थी।

07. जब यह योजना चालू थी, राजस्व ने एसआईसीए की धारा 22 (1) के तहत याचिका दायर की और रूपयों की बकाया राशि वसूलने की अनुमति मांगी। 426.37 करोड़ जो कि 2016 की सिविल अपील संख्या 5038 थी कि स्वीकृत योजना की तारीख के बाद जुटाई गई। इस याचिका

पर, बोर्ड ने दिनांक 29.03.2006 को आदेश पारित कर राजस्व को रूपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया। 4.28 करोड़ रूपये जो राजस्व द्वारा रोके गये थे और आगे आयकर विभाग को विवादित मांगों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। यह भी देखा गया कि राजस्व की विवादित मांग के क्रिस्टलीकरण की स्थिति में और कंपनी द्वारा पुनर्भुगतान के लिए धन की कमी के मामले में, कंपनी/प्रमोटर ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण की अपेक्षित राशि लाएंगे और/या जुटाएंगे। एसएस-02 के पैराग्राफ एस में परिकल्पित कंपनी की अधिशेष संपत्तियों के निपटान के माध्यम से आवश्यक निधि। इसने यह भी निर्देश दिया है कि कंपनी आयकर बकाया, यदि कोई हो, का निपटान/भुगतान करेगी, जो सामान्य प्रक्रिया में 01.04.2003 से एसएस-02 की मंजूरी/कार्यान्वयन के बाद देय होगा और न तो कंपनी और न ही इसके प्रवर्तक इसके लिए पात्र होंगे। ऐसे बकाया के भुगतान में देरी/गैर-भुगतान के लिए एसआईसीए के तहत किसी भी सुरक्षा के हकदार होंगे।

08. जब स्थिति इस प्रकार थी कि 29.06.2007 को कंपनी ने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी निवल संपत्ति 31.03.2007 को धनात्मक हो गई और एसआईसीए/बोर्ड से डी-पंजीकरण की मांग की। बोर्ड ने दिनांक 29.6.2007 को आदेश पारित करते हुए कहा कि चूंकि कंपनी की नेटवर्थ 31.03.2007 को धनात्मक हो गई थी एसआईसीए की धारा 3

(1) (ओ) के तहत एक रूग्ण औद्योगिक उपक्रम माना है और कंपनी को एसआईसीए के दायरे से मुक्त कर दिया। उक्त आदेश में निर्देश का सक्रिय भाग इस प्रकार है:

“(i) एसबीआई को एमए के रूप में जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है।

“(ii) योजना की शेष अवधि के लिए एसएस-02 के अप्रयुक्त प्रावधान और इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए बाद के आदेशों के अप्रयुक्त प्रावधान, यदि कोई हो, को लागू किया जाना जारी रहेगा। संबंधित एजेंसियों और उनके कार्यान्वयन की निगरानी कंपनी द्वारा की जाएगी।

“(iii) कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (बीओडी) में बीआईएफआर द्वारा नियुक्त विशेष निदेशक, यदि कोई हो, को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

“(iv) कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी, जैसी आवश्यकता होगी।

09. राजस्व के अनुसार 20.01.2010 तक बकाया राशि और आयकर रूपये थे 761.35 करोड़ रूपये की मांग की गई थी और भुगतान के लिए कंपनी को इसकी मांग भेजी गई थी और यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त राशि की वसूली के लिए दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी मांग इस आधार पर की गई थी कि कंपनी का नेटवर्थ धनात्मक हो गया है और यह एक रूग्ण कंपनी नहीं रह गई है। इसलिए, एक बीमार कंपनी का दर्जा खो देने के बाद यह एसआईसीए के प्रावधानों के तहत सुरक्षा की हकदार नहीं थी।

10. इस मांग के कुछ ही दिनों के भीतर प्रिंट मीडिया में आई खबरों से रेवन्यू को पता चला की कंपनी ने मुंबई में अपने विले पार्ले प्रोपर्टी 591 करोड़ रूपये में बेच दी। इस बिक्री लेनदेन को सत्यापित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 133 (ए) के तहत एक विशिष्ट सर्वेक्षण आयोजित किया गया था जिससे यह पता चला की कंपनी ने मैसर्स के साथ एक मेंमोरेण्डम ऑफ अडस्टेडिंग (एमओयू) में प्रवेश किया था। मैसर्स सेठ डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और उक्त संपत्ति को विकसित करने के लिए सुरक्षा रियलिटी लिमिटेड एमओयू में निर्धारित किया गया है विकास के लिए समझौते के निष्पादन पर, निर्धारिती कंपनी को कुल 54,270 करोड़ रूपये का प्रतिफल प्राप्त होगा, जिसमें से निर्धारिती कंपनी को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के समय पहले ही 60 करोड़ रूपये का

अग्रिम प्रतिफल प्राप्त हो चुका था। इसके अलावा कंपनी ने अशोका गोल्डन माल और मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए हैदराबाद में निर्धारिती की भूमि के विकास के लिए एक समझौता भी किया था। कंपनी ने विले पार्ले का कब्जा भी नहीं दिया था, क्योंकि विकास समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। इस प्रकार, कंपनी ने इस समय से अपने स्वामित्व वाली लगभग सभी अचल संपत्तियों को व्यवसायिक संपत्ति के रूप में स्टॉक-इन-ट्रेड में बदल दिया था और लगभग सभी संपत्तियों को बिक्री के लिए रखा गया था। बिक्री की अस्थायी लागत (टिनेटिव कोस्ट) 700 करोड़ से रू. लगभग 1000 करोड़ रुपये के बीच होगी।

11. उपरोक्त जानकारी का पता चलने पर, राजस्व के संबंधित कर वसूली अधिकारी ने पत्र दिनांक 12.03.2010 के माध्यम से शेष मूल्यांकन वर्षों के कर और जुर्माने की मांग की। दिनांक 12.03.2010 को उक्त पत्र प्राप्त होने पर कंपनी ने बोर्ड के समक्ष एमए क्रमांक 200/2010 दायर किया और राजस्व द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। इस आवेदन का राजस्व द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया गया था कि चूंकि कंपनी को दिनांक 29.06.2007 के आदेश के तहत एसआईसीए से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए बोर्ड के पास योजना के कार्यान्वयन पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बचा था और कंपनी अब इसके तहत सुरक्षा का आनंद नहीं ले

सकती थी। एसआईसीए की धारा 22(1) इस आवेदन पर , बोर्ड द्वारा दिनांक 09.04.2010 को आदेश पारित कर राजस्व को कंपनी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था। यह भी निर्देश दिया गया कि एसएस-02 के लागू न किए गए प्रावधानों, विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 10-के को डीआईटी (आर) द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

12. बोर्ड के इस आदेश के राजस्व द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (इसके बाद 'संदर्भित') के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी गई थी। अंतरिम आदेश दिनांक 03.06.2010 पारित किया गया था जिसमें दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। राजस्व के अनुसार, उपरोक्त आदेश के बावजूद, कंपनी ने मरोल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए ऑनलाइन अग्रेषित नीलामी आमंत्रित की, इसके कारण राजस्व को 24.08.2010 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एमए संख्या 448/2010 दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आवेदन में अपीलीय प्राधिकारी ने प्रस्तावित ऑनलाइन ई नीलामी को निलंबित करने का आदेश पारित किया। अपील पर अंततः अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 31.01.2011 को निर्णय लिया गया। अन्य संबंधित अपीलों के साथ अन्य मतों के अलावा, आदेश दिया गया कि आयकर विभाग कंपनी के खिलाफ अपने बकाया की वसूली के लिए कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही शुरू नहीं



कर सकता है, क्योंकि योजना शेष अवधि के लिए स्वीकृत पुनर्वास योजना के अप्रभावित प्रावधान अभी भी कार्यान्वयन के अधीन है।

13. इस आदेश को राजस्व द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी)1875/2011 दायर करके चुनौती दी गई थी। जबकि उपरोक्त रिट याचिका लंबित थी। कुछ अन्य घटनाक्रम हुए। कंपनी को सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी का कुछ बकाया भी देना था। कंपनी ने वर्ष 2010 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को कुछ पत्र लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि ओवर हैड्स के कारण उनका विनिर्माण कार्य अव्यवहार्य हो गया है और परिणामस्वरूप वास्तविकता व्यवसाय में प्रवेश करके व्यवसाय के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया था। कंपनी ने विविध आवेदन संख्या 114/2011 भी दायर किया था। पुनर्वास अवधि (मूल रूप से आठ वर्ष के लिए निर्धारित) की अवधि को एक वर्ष और बढ़ाने की प्रार्थना के साथ। राजस्व द्वारा कंपनी के खिलाफ उठाये गये कठोर कदमों के कारण उक्त योजना के कार्यान्वयन में हुई देरी के कारण इस आवेदन पर बोर्ड द्वारा 31.03.2011 को निर्णय लिया गया था। बोर्ड ने विस्तृत आदेश द्वारा, उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि योजना के कार्यान्वयन में किसी भी देरी के लिए विभागों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी माना गया कि एक बार जब कंपनी को वर्ष 2007 में अपने निवल मूल्य के धनात्मक होने पर एसआईसीए के

तहत छुट्टी दे दी गई थी तो धारा 18(5) के प्रावधान लागू नहीं थे और इसलिए समय के विस्तार के माध्यम से कोई भी बड़ा संशोधन अनुमति योग्य नहीं किया गया था।

14. बोर्ड के उपरोक्त आदेश के खिलाफ, कंपनी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि इस अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 29/30.06.2011 के आदेशों के माध्यम से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कंपनी पुनर्वास योजना की अवधि बढ़ाने की हकदार नहीं थी। इसने विशेष रूप से बोर्ड के निष्कर्ष की पुष्टि की स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया और योजना में कोई संशोधन संभव नहीं है।

15. बोर्ड का उपरोक्त आदेश 2:1 के बहुमत से था। जबकि दो सदस्यों की राय थी कि बोर्ड के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने उक्त दृष्टिकोण के समर्थन में अपने विस्तृत तर्क दिये, बोर्ड के अध्यक्ष जो उसी दिन सेवा निवृत्त हो रहे थे, ने पाया कि उनके पास समय नहीं था। एक विस्तृत आदेश लिखने के लिए, लेकिन अपना विचार व्यक्त किया कि कंपनी द्वारा स्थानांतरण के लिए एक समझौते में परवेश करने से स्वीकृत योजना के खण्ड 10(ए)(बी) के उल्लंघन के संबंध में जांच के लिए इस मामले को बोर्ड को वापस भेजा जाना चाहिए। विले पार्ले में उनकी संपत्ति का विकास। अध्यक्ष के अनुसार, स्वीकृत योजना के पैरा 9(5)(बी) के अनुसार, किसी अन्य अधिशेष संपत्ति की बिक्री या

विकास का प्रावधान था और समय विस्तार के संबंध में कंपनी की याचिका पर बोर्ड द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता थी। अध्यक्ष जो कि असहमत सदस्य की इन टिप्पणियों के बावजूद, बहुमत का विचार यह था कि अपील में कोई योग्यता नहीं थी और बोर्ड के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी और इस आधार पर बहुमत ने अपील को खारिज कर दिया था। जाहिर तौर पर इसका असर यह हुआ कि कंपनी की अपील खारिज हो गयी।

16. उपरोक्त परिणाम को पूरी तरह से जानना और उसके प्रति सचेत रहना। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय इसके विरुद्ध गया था, कंपनी ने 2011 की रिट याचिका संख्या 4614 दायर करके अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, इस रिट याचिका को 05.07.2011 को वापस ले लिया गया के रूप में खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय माल के निर्मित स्टॉक की निकासी और उन माल पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए 2 महीने का समय दिया। आदेश में आयकर बकाया के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जिस कारण से वापसी की मांग की गई थी वह उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निम्नलिखित भाग में निहित है।

हमने पक्षों के वकील को सुना है। याचिका कर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्देश पर कहा कि वह रिट याचिका और एएआईएफआर के आदेश दिनांक 29.06.2001 के बहुमत दृष्टिकोण द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम

को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन को वापस लेना चाहते हैं, ताकी बीआईएफआर योजना में संशोधन की मांग की जा सके,

रिट याचिका वापस लेने के साथ, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टी की गई, बोर्ड का आदेश अंतिम हो गया।

17. जैसा कि उपर देखा गया, उस समय, राजस्व द्वारा दायर 2011 की रिट याचिका संख्या 1875 उच्च न्यायालय में लंबित थी यह याचिका अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें राजस्व को इस आधार पर कंपनी के खिलाफ अपने बकाया की वसूली के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था कि स्वीकृत पुनर्वास योजना को शेष अवधि के लिए लागू नहीं किया था। योजना भी कार्यान्वयनाधीन थी। बोर्ड के साथ अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना के संबंध में कंपनी को विस्तार देने से इंकार करने के उपरोक्त आदेशों के मध्य नजर यह कारण अब अस्तित्व में नहीं था। उन आदेशों का तात्पर्य और प्रभाव स्पष्ट रूप से यह था कि योजना समाप्त हो गई थी। और अब संचालन में नहीं थी। इस प्रकार, राजस्व ने उक्त रिट याचिका में उपरोक्त विकास को रिकॉर्ड पर लाते हुए 2011 की रिट याचिका संख्या 1875 में विस्तृत प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया।

18. उपरोक्त पृष्ठभूमि के बावजूद, राजस्व द्वारा दायर रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.08.2011 को आदेश पारित कर रिट

याचिका को इस टिप्पणियों एसआईसीए की धारा 22 के तहत खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय बोर्ड को रोक हटाने के लिए स्थानांतरित करना है। यह एक बहुत ही संक्षिप्त आदेश है और संपूर्ण तर्क जिस पर उक्त आदेश आधारित है, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित चर्चा में पाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथिन उल्लंघन मोटे तौर पर प्रतिवादी संख्या है। स्वीकृत योजना के पैराग्राफ 9 एस (बी) के अनुरूप आयकर देनदारियां का भुगतान किए बिना संपत्ति की बिक्री में शामिल रहा है। विद्वान वकील का कहना है कि विभाग ने स्वीकृत योजना के पैराग्राफ 10 (के) के प्रावधानों के अनुसार आयकर बकाया की बड़ी मात्रा के लिये अतीत में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के कम किए गए दावे को संतुष्ट करने के लिए संपत्ति की बिक्री की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। विभाग का कहना है कि चूंकि यह पुनरूद्धार की योजना है, इसलिए प्रतिवादी नं.1 विभाग को बकाया राशि का भुगतान किए बिना किसी को संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में विवादित आदेशों को गलत नहीं ठहराया जा सकता, जो उस समय की तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित है यदि शिकायत है जैसा कि अब हमारे सामने आग्रह किया जा रहा है याचिकाकर्ता के लिए उचित उपाय रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान)

अधिनियम 1985 की धारा 22 के तहत स्वीकृत योजना के कथित उल्लंघन के तथ्य को मंच के समक्ष व्यक्त करके प्रतिबंध हटाने लिए बीआईएफआर को स्थानांतरित करना है।

19. उपरोक्त से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि उच्च न्यायालय इस कारण से आश्चर्य है कि क्या कंपनी ने अनधिकृत रूप से और पैरा 9(5)(बी) का उल्लंघन करते हुए संपत्ति की बिक्री की थी, जिस पर अभी विचार किया जाना बाकी है। बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय भी स्पष्ट रूप से गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि स्वीकृत योजना अभी भी चालू थी और इसलिए एसआईसीए की धारा 22 के तहत रोक लागू की गई। इस कारण से उसने निर्देश दिया कि राजस्व के लिए एकमात्र उपाय एसआईसीए की धारा 22 के तहत रोक हटाने के लिए बोर्ड से संपर्क करना है। उपर उल्लिखित तथ्यों और घटनाओं से यह आधार और धारणाएं स्पष्ट रूप से गलत हैं और रिकॉर्ड के विपरीत हैं।

20. प्रथम दृष्टया यह देखा जाना चाहिए कि योजना 31.03.2011 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी। योजना के विस्तार के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था। कंपनी द्वारा विस्तार की मांग करने का कारण यह था कि राजस्व द्वारा कंपनी के खिलाफ अपनाई गई जबरदस्त रणनीति के कारण योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई थी। यह दावा खोखला और गलत पाया गया, अपीलिय

प्राधिकारी ने 2:1 के बहुमत से बोर्ड के इस आदेश को बरकरार रखा था। इस प्रकार, कोई भी योजना चालू नहीं थी। एक और जिस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि वर्ष 2007 में कंपनी का शुद्ध मूल्य धनात्मक हो गया था और यह अब एक रूग्ण कंपनी नहीं रही। इस प्रकार, राजस्व को 2007 के बाद और किसी भी स्थिति में 31.03.2011 के बाद जब योजना समाप्त होने आयकर की बकाया राशि वसूल करने का अधिकार था।

21. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि कंपनी ने 2011 की अपनी रिट याचिका संख्या 4614/2011 को वापस लेने के बाद बोर्ड से संपर्क किया है इस आधार पर कि इस याचिका को वापस लेते समय उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी के बहुमत की राय की टिप्पणियों के मध्यनजर कंपनी को बोर्ड का सहारा लेने की अनुमति दी थी। ये भी त्रुटिपूर्ण/गलत है।

22. अपीलीय प्राधिकारी ने गुण-दोष के आधार पर अपील खारिज कर दी। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, उठाए गए विभिन्न पहलुओं और तर्कों पर चर्चा के दौरान, अपीलीय प्राधिकारी ने नोट किया कि कंपनी ने एक इकाई को बंद करने के लिए कदम उठाए थे, जिसे स्वीकृत योजना के तहत पुनर्वासित किया गया था और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, उसकी संपत्ति को बेचने के लिए कदम उठाया था। आगे यह देखा

गया कि जब ये कदम उठाए गए, तो कंपनी पर बोर्ड का अधिकार क्षेत्र एसआईसीए की धारा 18(9) और धारा 18(12) के तहत जारी रहा। अपीलीय प्राधिकारी की राय में चूँकि कंपनी ने स्वयं एसएस-02 के लाभकारी उपायों का लाभ उठाया था और लगातार उठा रही थी। जिसमें मुंबई इकाई के लिए पुनर्वास उपाय भी शामिल थे। इसलिए कंपनी की ओर से यह मांग करना और प्राप्त करना अनिवार्य था। मुंबई इकाई को बंद करने, अपने संयंत्र और मशीनरी को वडोदरा में स्थानांतरित करने और वास्तविकता व्यवसाय में संलग्न होने के लिए बोर्ड की पूर्व अनुमति। इस प्रकार कंपनी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि विले पार्ले यूनिट को नष्ट करने और उसकी जमीन और इमारत को बेचने में योजना का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, अपीलीय प्राधिकरण ने यह विचार किया कि उसने एसएस-02 की आवश्यक सामग्री को बदल दिया है। जिसके परिणामस्वरूप वह योजना खराब हो गई और इसलिए ऐसी योजना के विस्तार की मांग करना अनुचित था। इस पहले पर चर्चा करते हुए अपीलीय प्राधिकरण ने तर्क को खारिज करते हुए, इस प्रकार भी टिप्पणी की:

“12. कंपनी के पास एकमात्र विकल्प एसआईसीए की धारा 18(5) के तहत योजना में संशोधन की मांग करना था, जिस पर आवश्यकतानुसार संबंधित पक्षों से नई प्रतिबद्धताएं मांगने के लिए एसआईसीए के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया



के माध्यम से विचार किया जाना था। इन टिप्पणियों के द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने केवल कंपनी द्वारा पूर्व अनुमति न लेने के उल्लंघन की ओर इशारा किया और कहीं भी कंपनी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, यहां तक कि अब भी वह अवसर पहले ही खो चुका है।

23. यह उपरोक्त टिप्पणी है, जिसका लाभ कंपनी ने तब उठाया जब रिट याचिका संख्या 4614/2011 में 5 जुलाई 2011 के आदेश पारित किए गए। हालांकि, याचिका वापस ले ली गई, कंपनी के वकील ने बयान दिया कि कंपनी बोर्ड से संपर्क करके योजना में संशोधन की मांग के लिए 29 जून, 2001 के अपने आदेश में अपीलीय प्राधिकरण के बहुतम के दृष्टिकोण से सुझाए गए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेगी। ऐसा कोई सुझाव या अनुमति ही नहीं दी गयी, दौहराने की कीमत पर यह कहा गया है कि उपरोक्त टिप्पणियां कंपनी के विशेष तर्क से निपटने के दौरान की गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियों ने कंपनी को इस समय भी बोर्ड से संपर्क करने की कोई स्वतंत्रता दी है। कंपनी द्वारा संशोधन की मांग करते हुए बोर्ड के समक्ष इस तरह का आवेदन दाखिल करना कंपनी

की ओर से पूरी तरह से अस्थिर कदम है। ऐसा आवेदन कानून की दृष्टि में विचारणीय/कायम रखने के योग्य नहीं है।

24. जब उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया जाता है, तो राजस्व द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है। उपर बनाए गए कारणों से हमारा मानना है कि स्वीकृति योजना (एसएस-02) अपना समय पूरा कर चुकी है जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, राजस्व अपना बकाया वसूलने का हकदार है।

25. अगला प्रश्न उस बकाया राशि की मात्रा के बारे में है जिसे राजस्व को कंपनी से वसूलना है।

26. हम इस स्तर पर यह उल्लेख कर सकते हैं कि बहस के दौरान, कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि कंपनी राजस्व का बकाया का निपटान करने के लिए तैयार थी और इस उद्देश्य के लिए वह अपनी विले पार्ले भूमि की बिक्री के लिए सहमत थी इस न्यायालय के निर्देशों के तहत इस बात पर भी सहमति हुई कि उक्त बिक्री निगरानी एजेंसी, यानी केनरा बैंक द्वारा की जा सकती है। हालांकि विद्वान वरिष्ठ वकील ने राजस्व द्वारा दावा की गई राशि पर जोरदार सवाल उठाया, क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया था कि रूपयों की मांग की गई थी। राजस्व

द्वारा आयकर बकाया के रूप में 761.35 करोड़ का भुगतान सही नहीं था। इस पहलू पर दोनों पक्षों ने अपनी विस्तृत दलीलें दी।

27. सुश्री अनिता सिन्हा, अतिरिक्त महानिदेशक (वसूली) सी.बी.डी.टी., द्वारा दायर दिनांक 02.05.2016 के हलफनामे द्वारा निम्नलिखित बकाया का दावा किया गया है:

“ए. कर की मूल राशि 81.66 करोड़ रुपये।

जुर्माने की मूल राशि 83.29 करोड़ रु

ब्याज (टिल)के अंतर्गत 220 (2) 487.50 करोड़ रुपये

30.04.2016

कुल रु. 652.45 करोड़”

28. यह 02.05.2016 को दिया गया संशोधित आंकड़ा है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजस्व द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में रुपये की राशि 761.35 करोड़ की मांग की गई है।

29. दूसरी ओर, कंपनी का कहना है कि मांगों में रुपये की कमी की गई थी। अप्रैल, 2012 तक ही 52.53 करोड़ रु. यह प्रस्तुत किया गया कि कंपनी द्वारा आई.ए. 2014 के राजस्व द्वारा दायर जवाब में कर मांग की नवीनतम स्थिति और अपील की स्थिति का उल्लेख किया गया था।

राजस्व ने रुपये का बकाया बताया था। 635.96 करोड़ (कर और जुर्माने की मूल राशि 164.96 करोड़ रुपये जून, 2015 तक ब्याज/ 471.01 करोड़)। उक्त चार्ट, विवरण का उल्लेख करते हुए, जिसके अनुसार राजस्व विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, राजस्व द्वारा मांग की गणना की गई थी। कंपनी के वरिष्ठ वकील द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वे भी मांगे वहां शामिल की गई, जहां कंपनी सफल हो गई थी और विभाग द्वारा दायर अपीलें आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी। हालांकि, राजस्व की ओर से उपस्थित एएसजी श्री मनिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्व द्वारा अपील दायर की गई है जो आईटीएटी के समक्ष लंबित है लेकिन विवादित राशि को शामिल नहीं किया गया है और केवल वह राशि शामिल की गई है जो देय थी सीआईटी (अपील) के आदेश के अनुसार शामिल है।

30. कंपनी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री सुदंरम द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह थी कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना में, आयकर विभाग ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए सहमत हुआ था और इसलिए, यह विभाग के लिए ब्याज और जुर्माना शामिल करने की अनुमति नहीं थी। बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना का विशेष खंड इस प्रकार है:

‘क्यू. केन्द्र सरकार

## सीबीडीटी/आयकर

(बी) ब्याज और जुर्माना, यदि कोई हो, माफ करने पर विचार करना पुनर्वास अवधि के दौरान ऐसे ब्याज और जुर्माना नहीं लगाना।

31. यह तर्क दिया गया कि 'विचार करना' शब्द के शासनादेश के रूप में माना जाना चाहिए।

यह प्रस्तुत किया गया था कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित समान योजनाओं पर विचार करने के लिए अभिव्यक्ति की व्याख्या उच्च न्यायालयों की विभिन्न डिवीजन बेंचों द्वारा की गई है, जिसका अर्थ है कि दी गई राहत अनिवार्य है और केवल अनुशासनात्मक नहीं है। भारत संघ बनाम CIMMCO लिमिटेड और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ दिया गया था जिसमें 2014 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 626 और आयुक्त आयकर -1 चेन्नई बनाम एम में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया था। मैसर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड-1, चेन्नई, 2005 के टैक्स केस (अपील) संख्या 519 और 521 के तहत।

32. हम वर्तमान अपील में इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले रहे हैं और पक्षों को बोर्ड से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांगना की अनुमति देते हैं कि विचार करना शब्द का मतलब है, यानी क्या बोर्ड का मतलब यह था कि

यह राजस्व की ओर से अनिवार्य था जुर्माना या यह केवल अनुशासनात्मक था और इसलिए, उक्त अनुरोध अनुरोध पर सहमत होना न होना विभाग पर निर्भर था। जब भी ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो बोर्ड का अधिकार क्षेत्र केवल उपरोक्त पहलू तक ही सिमित होगा और बोर्ड दो महीने की अवधि के भीतर मुद्दे पर निर्णय लेगा। अन्यथा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि योजना समाप्त हो गई है, इसलिए बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकृति की आगे की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें कंपनी द्वारा दायर और बोर्ड के समक्ष लंबित संशोधन के लिए आवेदन भी शामिल है।

33. आयकर विभाग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विले पार्ले भूमि सहित कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए कदम उठाने का हकदार होगा और उसे बेचने का भी हकदार होगा। यदि इन संपत्तियों के संबंध में कोई सुरक्षित लेनदार है तो ऐसी कुर्की और ब्रिकी उन लेनदारों के अधिकारों के अधीन होगी। आय में से, आयकर विभाग को देय कर की मूल राशि और यहां तक कि स्वीकृत उत्पाद शुल्क का भुगतान राजस्व में किया जाएगा। जहां तक ब्याज और जुर्माने के भुगतान का सवाल है, यह बोर्ड कि निर्णय पर निर्भर होगा।

34. अलग होने से पहले, हम बता सकते हैं कि मैसर्स सेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर किया है क्योंकि उनका कहना है कि विले

पार्ले भूमि के संबंध में कंपनी ने उनके साथ एमओयू किया था। हालाँकि, एक बार यह पाया गया कि ऐसा समझौता योजना का उल्लंघन था, तो कंपनी द्वारा उपरोक्त हस्तक्षेप कर्ताओं के साथ की गई व्यवस्था अपनी कानूनी ताकत खो देती है और उक्त समझौतों के आधार पर हस्तक्षेपकर्ता को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस प्रकार, हम हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका को खारिज करते हैं।

35. अपील की अनुमति दी जाती है और ऊपर बताई गई शर्तों पर इसका निपटारा किया जाता है

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा रानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।